

राजस्थान सरकार
कार्यालय तंत्रीलदार एवं कार्यपालक दण्डनायक
तहसील-बासं जिला बारा



जाति प्रमाण-पत्र

क्रमांक : प-सुगम / जाप / 2014 /

213
8-8-14

प्रमाणित किया जाता है कि :-

प्राची श्री / मुश्त्री / श्रीप्रति

पुरुष / पुत्री / पत्नी

निवासी

जिला / डिवीजन

उत्तराधिकारी
द्वीतीय जाति पत्र

बारा

राज्य / संघ राज्य / राजस्थान

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्राची / प्राचीनी जाति / समुदाय
निम्नान्वित अनुसार उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दी गयी है। जो
सूची सम्बन्ध में कम से पर दर्ज है।

का है जिसे
की

- सविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950
- सविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950
- सविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951
- सविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951
- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूचियों (संशोधन) आदेश 1956
- मुम्बई पुर्नगढ़न अधिनियम, 1960, पंजाब पुर्नगढ़न अधिनियम, 1966
- दिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 उत्तरपूर्वीय क्षेत्र (पूर्वोत्तर) अधिनियम 1971 और अनुसूचित जाति-
तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किये गये अनुसार।
- संधिधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956
- अनुसूचित जाति तथा जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित सविधान—
(आण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959
- सविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति, आदेश 1962
- संधिधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जनजाति, आदेश 1962
- संधिधान (पांडीचेरी) अनुसूचित जाति, आदेश 1964
- सविधान (अनुसूचित जनजाति) उत्तरप्रदेश, आदेश 1967
- सविधान (गोया, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति, आदेश 1968
- सविधान (गोया, दमन तथा दीव) अनुसूचित जनजाति, आदेश 1968
- संधिधान (नामालेण्ड) अनुसूचित जनजाति, आदेश 1970
- सविधान (सिलिकम) अनुसूचित जाति, आदेश 1978
- संधिधान (सिलिकम) अनुसूचित जनजाति, आदेश 1978
- संधिधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति, आदेश 1969
- सविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश संशोधन अधिनियम, 1991
- सविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश द्वितीय संशोधन अधिनियम, 1991

श्री / मुश्त्री / श्रीप्रति
जाति

उत्तराधिकारी
माना

जिला / डिवीजन

बारा

स्थान :
दिनांक :

पुरुष / पुत्री / पत्नी

निवासी

द्वीतीय ताप

बारा

राज्य राजस्थान में साधारण तौर से निवास करते हैं।

(नोट : इफण उन ऐसी वर्ग वा वर्गीयों जो वास नहीं हैं।
वहीं प्रयुक्त हुये "साधारण तौर से निवास" शब्दों का अर्थ वही होगा जो जनप्रतिनिधित्व 1950 वाला 20 वां है।)

हमें दीनदार बारा
जिला नाम स्वीकृत